



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13052026-272522
CG-DL-E-13052026-272522

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2321]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 2321]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

का.आ. 2413(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनन्तापुरामु जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544डीडी पर किमी.54/500 से किमी.55/000 तक अक्लममागरला मंदिर क्रॉसिंग रोड (एपी-(03)-248) और कल्याणदुर्ग सर्कल रोड (एपी-(04)-200) पर ब्लैक स्पॉट्स का सुधार निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, अनन्तापुरामु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि

कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुराम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-544डीडी पर किमी.54/500 से किमी.55/000 तक अक्कम्मागरला मंदिर क्रॉसिंग रोड (एपी-(03)-248) और कल्याणदुर्ग सर्कल रोड (एपी-(04)-200) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अनंतापुराम्		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: कल्याणदुर्ग					
गांव का नाम: कल्याणदुर्ग					
1	325-F1A	निजी	एग्रीकल्चर	0.2 (एकर)	0.0809389
2	327-1B2	निजी	एग्रीकल्चर	0.0299999 (एकर)	0.0121408
3	328-A2	निजी	एग्रीकल्चर	0.16 (एकर)	0.0647511
4	328-C2	निजी	एग्रीकल्चर	0.18 (एकर)	0.072845
5	335-2A1	निजी	एग्रीकल्चर	0.07 (एकर)	0.0283286
Total					0.2590044

[फा. सं. NH-15017/17/2025-P&M/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th May, 2026

S.O. 2413(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of Black Spots at Akkammagarla Temple crossing road (AP-(03)-248) & Kalyanadurg Circle Road (AP-(04)-200) of NH-544DD in the stretch of land from Km. 54.500 to Km.55.000 in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, JOINT COLLECTOR, ANANTHAPURAMU in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land Black Spots at Akkammagarla Temple crossing road (AP-(03)-248) & Kalyanadurg Circle Road (AP-(04)-200) of NH-544DD in the stretch of land from Km. 54.500 to Km.55.000 in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Anantapuramu		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Kalyanadurg					
Village: Kalyanadurg					
1	325-F1A	Private	Agriculture	0.2 (Acre)	0.0809389
2	327-1B2	Private	Agriculture	0.0299999 (Acre)	0.0121408
3	328-A2	Private	Agriculture	0.16 (Acre)	0.0647511
4	328-C2	Private	Agriculture	0.18 (Acre)	0.072845
5	335-2A1	Private	Agriculture	0.07 (Acre)	0.0283286
Total					0.2590044

[F. No. NH-15017/17/2025-P&M/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director